न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 121/2018/223 आर टी ए

मुखी पुत्री रूपा पत्नि मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

1. इन्द्राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. कृष्णकुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. बलदेव पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. भागीरथ पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. नरसिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. जयलाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
8. समेशता देवी पि0 ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
9. मांगीलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
10. आशकरण पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. विद्यादेवी पि. रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. राकेश पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
13. महेन्द्र पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
14. साहबराम पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
15. भीमराम पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

Web Copy - Not Official

16. कमला पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

17. सीता पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

18. शारदा पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

——असल रेस्पो0

19. रामेश्वर पुत्र रूपा पत्नि मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी नुआ तहसील भादरा।

20. आदराम पुत्र रूपा पत्नि मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

21. विमला पुत्री रूपा पत्नि मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

——तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2002 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0 सं0 103/2002 अनवान इन्द्राज आदि बनाम भागीरथ

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्टा

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

निर्णय दिनांकः–07.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय मे समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि वादी सं. 1 ता 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम से रोही मोजा देईदास के खसरा नं. 260 की 32.09 बीघा व खसरा नं. 448 की 15.10 बीघा, रोही मौजा भूकरका के खसरा नं. 296 की 12.19 बीघा बारानी भूमि दर्ज है उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अपने नाना लेखूराम से विरासतन मिली है जो पुश्तैनी भूमि होने के कारण वादीगण का जन्म से ही प्रतिवादी स. 1 के साथ बराबर का हक व हिस्सा है जिसे अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसमे प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ ने उपस्थित होकर इकबालदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने इकबालदावा के आधार पर दावा डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय धारा 39 आरटीए की अवहेलना मे पारित किया है जो रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत गैर खातेदारी भूमि थी कानूनन गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। वसीयत के आधार पर रोही मौजा भूकरका व देईदास की भूमि की मुताबिक गैर खातेदारी वसीयत की वाद डिक्री नही किया जा सकता तथा लेखूराम द्वारा भागीरथ के पक्ष मे वसीयत यदि कोई निष्पादित की गई थी तो वह गैरखातेदारी भूमि की थी। वादग्रस्त भूमि लेखूराम पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज थी। लेखूराम पुत्र गणेशा के दो पुत्रियां अपीलांट मुखी की माता रूपा व रेस्पो0 सं. 4 व 14 ता 18 की माता तानी थी रेस्पो0 सं. 4 ने रेस्पो0 सं. 1 ता 3 से मिली भगत कर लेखूराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 22.05.87 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया गाय तथा अपने पुत्रों को पक्षकार बनाते हुये वाद डिक्री करवा लिया जबकि अपीलांट वाद भूमि मे 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार थी सैक्शन 39 आरटीए के तहत गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। लेखूराम द्वारा रेस्पो0 सं. 4 भागीरथ के पक्ष मे वसीयत नही की जा सकती है भी रूपा या रूपा के वारिसान मुखी को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था तथा रेस्पो0 सं. 5 ता 21 को पक्षकार नही बनाया गया जबकि वादग्रस्त भूमि मे उनका भी यानि तानी पुत्रो का 1/2 हिस्सा व रूपा के वारिसान का 1/2 हिस्सा के खातेदार थे घोषणा का वाद बिना सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का उन्हे सम्पूर्ण अवसर देकर फिर निर्णय किया जाना चाहिए था। वादग्रस्त भूमि सम्वत 2008 से 2011 की जमांबदी व खसरा गिरदावरी का खातेदार राव अमरसिंह ठाकूर जागीरदार जसाना तहसील नोहर की भूमि थी जिसको लेखू के पूर्वजो गणेशा वल्द खिया की अर्जित व नोतोड किया था उक्त विवरण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को अथवा वादग्रस्त भूमि स्त्रोत को तलब नही किया। इससे पूर्व भी रेस्पो0 ने एक वाद दिनांक 30.05.2000 को विचारण न्यायालय से डिक्री करवाया था वो दिनांक 27.03.2018 को खारिज किया जा चुका था। उक्त वाद मे मृतका तानी ने मिली भगत कर अपने पुत्र से दावा करवाकर वाद डिक्री करवा लिया था जबकि अन्य वारिसान अपनी संगी बहन रूपादेवी के वारिसान को उक्त वादपत्र मे पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. मृतक लेखूराम की पुत्री रूपादेवी के वारिसान है यही प्रश्न वर्तमान अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे उत्पन्न हुआ अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। लेखूराम की विवादित भूमि को करीब 2 वर्ष पूर्व ही खातेदारी अधिकार दिये गये है वसीयत दिनांक 22.05.87 गैर खातेदारी भूमि थी।

अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांटा को पक्षकार नही बनाया गया था तथा उसे कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई। जब न्यायालय हाजा से अपील सं. 259/2016/223 आरटीए अनवानी मुखी बनाम भागीरथ आदि का निर्णय दिनांक 27.03.2018 को हुआ तब रेस्पो0 ने अपीलांट को धमकी दी कि तुने एक फैसला निरस्त करवाया है परन्तु दिनांक 16.10.2002 का एक निर्णय मेरे पक्ष मे ओर है तब अपीलांट को उक्त निर्णय का पता कर दिनांक 25.04.18 को प्रमाणित प्रति लेने हेतु न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 25.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील अपीलांटा ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अधिवक्ता अपीलांटा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1995 पेज 556, आरएलडब्ल्यू 1997 (2) पेज 208, आरबीजे 2008 (2) पेज 761, आरआरटी 2009 (2) पेज 988, सीसीसी 2010 (3) पेज 374, आरबीजे 2014 पेज 472, 2015 सीसीसी पेज 142 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 3 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांटा ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2002 की अपील 16 वर्ष बाद लम्बी अवधि देरीना पेश की है तथा देरी प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक व उचित कारण प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मे दर्ज नही है। अपील अन्दर मियाद नही है। इसलिए अपील मियाद प्रार्थना पत्र पर ही खारिज योग्य है। विवादग्रस्त भूमि लेराम की पैदाकर्दा थी। लेखराम के पुत्र नही था केवल मात्र दो पुत्रियां रूपा व ताना थी। ताना अक्सर अपने माता पिता के पास आती जाती रहती थी तथा उनकी सेवा करती थी उसके एक पुत्र भागीरथ था जो एक साल की उम्र मे ही अपने नाना नानी के पास रहने लगा उसका पालन पोषण नाना ने किया। रूपादेवी बिरकाली रहने लगी तथा उसके बाद गांव देईदास आ गई थी वहा पर लेखराम ने नगदी के रूप मे धन राशि दे दी थी तथा उसे मकान आदि बनाकर दे दिया। लेखराम ने भागीरथ के पक्ष मे वसीयतनामा पंजीकृत करवाया। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 4 के नाम से दर्ज थी जो विरासतन लेखराम से प्राप्त हुई जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का हक व हिस्सा निहित होने के कारण रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने का कथन करते हुए उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांटा अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज चित्रप्रति वसीयत, प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द अहकाम, प्रमाणित वादपत्र, प्रमाणित प्रति जवाबदावा प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेजात होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है।

6. पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि लेखुराम पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज थी लेखुराम के दो पुत्रियां अपीलांट मुखी की माता व रेस्पो0 सं. 4 व 14 ता 18 की माता तानी थी। वादग्रस्त भूमि की वसीयत रेस्पो0 सं. 1 भागीरथ के पक्ष मे निष्पादित होने तथा वादग्रस्त भूमि भागीरथ को विरासतन प्राप्त होने का कथन करते हुए रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने रेस्पो0 सं. 4 को पक्षकार बनाते हुए वादग्रस्त भूमि की घोषणा की डिक्री अपने पक्ष मे करवाई गई जबकि लेखुराम के दो पुत्रियां रूपा तानी थी जो लेखूराम के नाम दर्ज भूमि के बहिस्सा बराबर की हकदार थी। अपीलांट का तर्क है कि सैक्शन 39 आरटीए के तहत गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। लेखुराम द्वारा रेस्पो0. सं. 1 के पक्ष मे वसीयत निष्पादित भी कर दी गई तो भी रूपा को या रूपा के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था तथा प्रश्नगत वसीयत के संबंध मे सिविल न्यायालय मे वादपत्र जैरकार है। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अपने पिता रेस्पो0 सं. 4 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करते हुए उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पो0 सं. 4 को प्राप्त वादग्रस्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहते हुए दावा डिक्री करवा लिया जबकि वादग्रस्त के संबंध मे एक वाद रेस्पो0 सं. 4 भागीरथ द्वारा वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2000 के जरिये स्वीकार किया गया जिसकी अपील संख्या 259/2016 अनवानी मुखी बनाम भागीरथ आदि

प्रस्तुत की गई जिसमे दिनांक 27.03.2018 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी वादपत्र भागीरथ बनाम तानी आदि मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2000 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे एक वादपत्र भागीरथ बनाम तानी आदि विचाराधीन है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे निष्पादित वसीयत के संबंध मे भी सिविल न्यायालय मे वादपत्र जैरकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रभावित पक्षकार सुने एवं बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये दावा स्वीकार किया गया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2002 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटा एवं अन्य उभय पक्षकारान को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर प्रश्नगत वसीयत के संबंध मे सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वाद को एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादपत्र संख्या 88/95 अनवानी भागीरथ बनाम तानी आदि जो हाजा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2018 को प्रतिप्रेषित किया गया था, को मध्यनजर रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official